कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

क्रमांक/ 2209 / नो.अ./COVID-19/2020 सिवनी, दिनांक- 27/03/2020

-//संशोधित-आदेश//-

जिले में कोरोना (कोविड-19) वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर संपूर्ण सिवनी जिले की सीमा में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी नहीं होने के कारण कोरोना (कोविड-19) वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिले में लॉकडाऊन की स्थिति के दौरान शांति भंग होने की आशंका एवं जिले में लॉकडाऊन की स्थिति के दौरान जिले के आम नागरिकों से शासन के आदेशों/निर्देशों का प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2205/COVID-19/2020 सिवनी दिनांक 26/03/2020 के व्दारा अधिकारी/कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों के लिए सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर कॉलम नं. 1 के सेक्टर क्रमांक के समक्ष कॉलम नं. 5 में दर्शित अधिकारियों के स्थान पर कॉलम नं. 6 में उल्लेखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शित ग्राम पंचायत क्षेत्र के सम्मिलित समस्त ग्रामों के लिये सेक्टर अधिकारी सेक्टर नियुक्त किया जाता है:-

सेक्टर क्र.	तहसील क्षेत्र का नाम	क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	पूर्व सेक्टर ऑफिसर का नाम व पदनाम	वर्तमान में नियुक्त सेक्टर ऑफिसर का नाम व पदनाम	मोबाइल नंबर
1	2	3	4	5	6	7
22	**बरघाट**	51	बुढैनाखुर्द	श्री सनद कुमार यादव सहायक यंत्री, बैनगंगा कछार सिवनी	श्री ऋषभ साहू अनुविभागीय अधिकारी, जलसंसाधन विभाग (नहर पेंच)	9424339868
		52	मानेगांवखुर्द			
		53	भीमपाठा			
		54	कुडोपार			
		55	आमगांव			
		56	टिकारी (आमा)			
		57	आमागढ			
		58	नयेगांव			
		59	काठी			
		60	उसरी			

उक्त सेक्टर अधिकारियों के व्दारा अपने अपने क्षेत्र में निम्न कार्यों का सम्पादन किया जावेगा:-

1. सेक्टर अधिकारी अपने क्षेत्र में हो रही गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को सतत् रूप से सूचित करेंगे।
2. सेक्टर अधिकारी अपने क्षेत्र में अन्य प्रदेश/जिलों से आ रहे व्यक्तियों की जानकारी संधारित कर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के माध्यम से उनका स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।
3. आईसोलेशन में रखे गये व्यक्तियों की सतत् मॉनिटरिंग करेंगे तथा अधीनस्थ स्वास्थ्य अमले के माध्यम से सतत् निगरानी की जावे इसका विशेष ध्यान रखेंगे।
4. सेक्टर अधिकारी अपने क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के संक्रमित होने अथवा संक्रमण पाये जाने पर RRT/MMU को सूचित करेंगे।
5. सेक्टर अधिकारी अपने क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं जैसे खाद्य सामग्री, दूध, फल, रसोई-गैस, सब्जी आदि महत्वपूर्ण वस्तुओं की सुचारू रूप से उपलब्धता को सुनिश्चित करायेंगे।
6. सभी सेक्टर अधिकारी दिनांक 28.03.2020 को प्रातः 10.30 बजे अपने-अपने क्षेत्र में पहूँचकर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को रिपोर्ट करेंगे।
7. सभी सेक्टर अधिकारी, अपने कार्यालय के 02 अधिकारी/कर्मचारी को अपने साथ रखेंगे, जो उनके साथ ड्यूटी पर कर्तव्यस्थ माने जायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला-सिवनी

P.T.O.

क्रमांक/2209A/नो.अ./COVID-19/2020 सिवनी, दिनांक- 27/03/2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला मण्डला/बालाघाट/जबलपुर/नरसिंगपुर/छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक जिला सिवनी की ओर प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी की ओर प्रेषित।
5. नोडल अधिकारी कोरोना (कोविड-19) संक्रमण रोकथाम जिला सिवनी की ओर प्रेषित।
6. समस्त कार्यालय प्रमुख जिला सिवनी की ओर प्रेषित।
7. सहायक संचालक, जनसंपर्क जिला सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. सर्व सम्बंधित .... की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला-सिवनी